कार्यालय अंचल अधिकारी, बेंगाबाद।

ई-मेल:- circlebengabad@gmail.com

आदेश फलक

वाद संख्या :- 21-22/05

वाद का प्रकार :- .... (विविध)

प्रथम पक्ष – श्री सदन गोप
पिता – स्व० दीपन गोप
ग्राम – परसाटांड़, थाना– गिरिडीह

बनाम्

द्वितीय पक्ष – बाजो महतो
पिता – स्व० उतीम महतो
ग्राम – महुआर, थाना– बेंगाबाद

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्रवाई
14/02/2022	इस अभिलेख की कार्रवाई आवेदक श्री सदन गोप, पिता स्व० दीपन गोप, ग्राम– परसाटांड़, थाना– गिरिडीह के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ किया गया है। प्राप्त आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा– महुआर, थाना– बेंगाबाद के अंतर्गत खाता नं० 79, प्लॉट नं० 4141 एवं 4142, रकवा 66 डी० भूमि का फर्जी दाखिल–खारिज को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन के अनुसार प्रथम पक्ष आवेदक श्री सदन गोप पिता स्व० दीपन गोप... ग्राम महुआर थाना गिरिडीह एवं द्वितीय पक्ष के श्री बाजो महतो पिता स्व० उतीम महतो ग्राम महुआर थाना बेंगाबाद से प्रश्नगत विवादित भूमि मौजा महुआर खाता 79 प्लॉट 4141 एवं 4142 रकवा 0.66 डी० भूमि संबंधित राजस्व दस्तावेज के साथ दिनांक 04.03.2021 को उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी, बेंगाबाद।	
4/03/2022	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। पक्ष विपक्ष अपने–अपने आवेदन के साथ उपस्थित। द्वितीय पक्ष के उपस्थित श्री बाजो महतो गोवाह नारायण राना के समक्ष बताया कि मौजा महुआर थाना नं० ..17........ अन्तर्गत खाता 79 प्लॉअ 4141 एवं 4142 रकवा 0.66 डी० भूमि मेरे पूर्वज के द्वारा क्रय किया गया है, जिसके आधार दाखिल–खारिज कराकर फर्जी नहीं करवाया गया है। (हस्ताक्षर)	

Scanned with CamScanner

द्वितीय पक्ष :– सदन गोप ने बताया कि मेरे पूर्वज के द्वारा जमीन बिक्री नहीं किया, उन्होंने गलत केवाला को दिखाकर फर्जी दाखिल–खारिज करवाकर जमाबंदी कायम करवा लिया है, जिसका दाखिल–खारिज रद्द किया जाय।

अतः पक्ष विपक्ष का ब्यान सुना एवं उपस्थिति दर्ज किया तथा प्राप्त कागजातों की समिक्षा राजस्व उपनिरीक्षक तथा जाँच प्रतिवेदन व अंचल निरीक्षक के माध्यम से दिनांक 08.03.2022 को मांग करें।

अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद।

08/3/2022

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि ऑनलाईन आवेदन के अनुसार दाखिल–खारिज का निष्पादन किया गया है। अब द्वितीय पक्ष को स्वीकृत दाखिल–खारिज के आलोक में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

पारित आदेश

उपरोक्त प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मौजा महुआर, थाना नं० 17 खाता सं० 79, प्लॉट सं० 4141, रकवा 42 डी० एवं 4142 रकवा 24 डी० का ऑनलाईन दाखिल–खारिज केस नं० 409/र.27 2021–22 के द्वारा तत्कालिन अंचल अधिकारी, बेंगाबाद के द्वारा ऑनलाईन स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृति के आलोक में पक्षकार चाहे तो भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में दाखिल–खारिज अस्वीकृत हेतु अपील दायर कर सकेत है।

अंचल अधिकारी
बेंगाबाद।

Digitally signed by PIYUSH SINHA
Date: 2022.03.21 17:38:53 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner